

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-13) विभाग

क्रमांक: प.6(19)गृह-13/2006/पार्ट-1A

जयपुर, दिनांक: 15.09.2016

उप निदेशक (जीवनांक),
आर्थिक एवं सांख्यिकी
निदेशालय, जयपुर

विषय:- विवाह पंजीयन निरस्त करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक एफ 13/1/वीएस/डीईएस/एम.आर/2016/1/56423/
2016 दिनांक 02.09.16 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवदेन है कि आपके द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में विधि विभाग की राय के अनुसार राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 में विवाह के अनुष्ठान के पश्चात् विवाह के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। विवाह रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

-ह0-

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक शासन सचिव